न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

रेफरेन्स आवेदन पत्र सं. 41/2010

प्रार्थी–	***बनाम***	**रेस्पोडेंट्स–**
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव		1. मारख पुत्र साले मोहम्मद 2. स्वर्गीय रमदान पुत्र राणा के कायम मुकाम– 2.1 सकूर पुत्र रमदान 2.2 गफूर पुत्र रमदान 2.3 हनीफा पत्नि रमदान जाति मुसलमान निवासी नेगरडा तहसील शिव जिला बाड़मेर

रेफरेन्स आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 82 सहपठित धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 17.12.1978 जो नामान्तरकरण सं. 134 पर तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।

रेफरेन्स आवेदन पत्र सं. 42/2010

प्रार्थी–	***बनाम***	**रेस्पोडेंट्स–**
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव		1. मारख पुत्र साले मोहम्मद 2. स्वर्गीय रमदान पुत्र राणा के कायम मुकाम– 2.1 सकूर पुत्र रमदान 2.2 गफूर पुत्र रमदान 2.3 हनीफा पत्नि रमदान जाति मुसलमान निवासी नेगरडा तहसील शिव जिला बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.2[illegible] 15:50:04 IST
Reason: SelfAttested

रेफरेन्स आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 82 सहपठित धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 17.12.1978 जो नामान्तरकरण सं. 133 पर तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थिति :– उपर्युक्त दोनों रेफरेन्स आवेदन पत्रों में–

1. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मदनलाल सिंघल, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 30/12/2020

1. उपर्युक्त दोनों रेफरेन्स आवेदन पत्रों में समान पक्षकार एवं एकसमान विषयवस्तु निहित होने से दोनों आवेदन पत्रों का निस्तारण एक संयुक्त आदेश के द्वारा किया जा रहा है। आदेश की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त रेफरेन्स आवेदन पत्र धारा 82 सहपठित धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर तहसीलदार शिव द्वारा मौजा नेगरडा की गैर मुमकिन आगोर भूमि को जरिये नामान्तरकरण संख्या 133 व 134 स्वीकृति आदेश दिनांक 17.12.1978 के द्वारा खातेदारी में अवैधानिक रूप से इन्द्राज को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किये गये है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में आवेदन पत्रों पर जांच उपरान्त निर्णय दिनांक 11.01.2012 द्वारा प्रकरण राजस्व मण्डल को अभिशंषा सहित अग्रेषित किये गये थे। माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा सुनवाई उपरान्त निर्णय दिनांक 10.07.2018 के द्वारा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये गये हैं कि आलोच्य नामान्तरकरणों के मूल में आवंटन आदेश है जिसके संबंध में परीक्षण किये बिना नामान्तरकरणों को जरिये रेफरेन्स चुनौती दिया जाना उचित नहीं है। लिहाजा उक्त नामान्तरकरणों के आधार में आवंटन आदेश एवं उसके क्रमतर विभिन्न न्यायालयों के आदेशों का समग्र परीक्षण किया जावे एवं तदनुसार प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही की जावे। माननीय एकल पीठ के आदेश के अनुसरण में प्रकरण पुनः नंबर पर कायम किये जाकर पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये एवं दस्तावेजों का परीक्षण किया गया।

3. प्रस्तुत आवेदन पत्रों के संक्षिप्त तथ्य यह है कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी मारख को वर्ष 19[illegible] [illegible] नेगरडा के खसरा नम्बर 47 में 20 बीघा तथा अप्रार्थी [illegible] 2 [illegible] को 73 बीघा भूमि आवंटित की गई। इस आवंटन के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 47 व 56 के बीच तरमीम रेखा के अभाव में आ[illegible]टन खसरा नंबर 47 के बजाय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:50:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

समीपस्थ खसरा नंबर 56 गैर मुमकिन आगोर की भूमि पर कब्जा कर लिया। इस पर अप्रार्थीगण को अपने आवंटन से भिन्न प्रतिबंधित भूमि पर नाजायज अतिक्रमण के लिये धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित किये गये। इस आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपील संख्या 13/1973 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील पर सुनवाई उपरान्त अप्रार्थीगण की अपील सारहीन मानते हुये आदेश दिनांक 31.10.1973 द्वारा खारिज कर दी गई है। इस आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा पुनः द्वितीय अपील संख्या 184/75 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त द्वितीय अपील सुनवाई उपरान्त आदेश दिनांक 07.08.1976 द्वारा स्वीकार कर अधीनस्थ तहसीलदार शिव व इस न्यायालय के दोनों आदेशों का निरस्त किया तथा आदेशित किया गया कि अपीलकर्ताओं को आवंटितशुदा व कब्जा काश्त भूमि से बेदखल नहीं किया जावे। यदि भूमि बाद में तरमीम अंकन के फलस्वरूप खसरा नंबर 56 में चली गई है और पहले उसका खसरा नंबर 47 था तो इसका नोट संबंधित राजस्व रेकर्ड में लगाया जाना चाहिये ताकि अपीलकर्ताओं को बार–बार बेदखली की कार्यवाही का मुकाबला नहीं करना पड़े। राजस्व अपील प्राधिकारी के इस आदेश का तहसीलदार शिव द्वारा विधिसम्मत विवेचन किये बिना ही खसरा नंबर 56 गैर मुमकिन आगोर की भूमि के आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 133 व 134 अप्रार्थीगण के नाम दायर कर आदेश दिनांक 17.12.1978 के द्वारा स्वीकृत कर दिये गये। अप्रार्थीगण को मूल रूप से खसरा नंबर 47 सिवायचक भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी जबकि आलोच्य नामान्तरकरणों के द्वारा गैर मुमकिन आगोर भूमि के नामान्तरकरण पारित किये गये हैं जो किसी भी दशा में विधिसम्मत नहीं हैं। इस हेतु प्रार्थी तहसीलदार शिव द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में उक्त रेफरेन्स आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

4. हमने पत्रावलियों का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। प्रार्थी [illegible] से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया कि विप्रार्थीगण [illegible] खसरा नंबर 47 सिवायचक भूमि में क्रमशः 20 बीघा एवं 73 बीघा भूमि [illegible] प्रयोजनार्थ आवंटन हुई थी। आवंटन के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा खसरा [illegible]र 56 गैर मुमकिन आगोर की

न्यायालय जिला कलेक्टर
बाड़मेर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:50:04 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

भूमि पर अपनी मर्जी से नाजायज कब्जा कर लिया। वक्त बंदोबस्त खसरा नंबर 47 व 56 के बीच तरमीम रेखा भूलवश अंकित नहीं हुई थी किन्तु मौके पर उक्त दोनों खसरे पृथक–पृथक हैं एवं गैर मुमकिन आगोर की भूमि खसरा नंबर 56 मौके पर जल प्रवाह एवं जल स्रोत के कैचमेंट के रूप में आई हुई है। अप्राथीगण द्वारा उन्हें आवंटित खसरा से भिन्न प्रतिबंधित भूमि पर अपनी मर्जी से कब्जा कर लिया। इस पर उनके विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई गई है। उक्त बेदखली आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.08.1976 में अपीलार्थीगण को आवंटन के आधार पर बेदखल नहीं करने का आदेश पारित किया गया था किन्तु इस आदेश के द्वारा गैर मुमकिन आगोर की भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने का आदेश कतई नहीं दिया गया। इसके बावजूद तत्कालीन तहसीलदार शिव द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त आदेश का गलत विवेचन करते हुए आलोच्य नामान्तरकरण दायर कर गैर मुमकिन आगोर की भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गैर मुमकिन आगोर की भूमि किसी भिन्न प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु प्रतिबंधित है तथा इसी प्रावधान के मद्देनजर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में जल स्रोतों की भूमियों को उनके वास्तविक रूप में रखने एवं बंदोबस्त पश्चात किये गये समस्त आवंटन/परिवर्तन निरस्त किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। लिहाजा आलोच्य नामान्तरकरण निरस्त करने हेतु उक्त दोनों रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल को अग्रेषित किये जावें।

5. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि अप्रार्थीगण को वर्ष 1962 में खसरा नंबर 47 में क्रमशः 20 व 73 बीघा भूमि आवंटन की गई थी एवं भूमि का कब्जा भी विप्रार्थीगण को दे दिया गया था। विप्रार्थीगण को उसे आवंटित इस भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके हैं। आवंटितशुदा जमीन के पड़ौस में जुड़ती हुई खसरा नंबर 56 की भूमि जो गैर मुमकिन आगोर है। उक्त दोनों खसरों के बीच वक्त आवंटन कोई विभाजन रेखा राजस्व रेकर्ड में नहीं थी। [illegible]गण को आवंटन के पश्चात अप्रार्थीगण के कब्जे वाली [illegible] 56 [illegible] आगोर की बताकर उनके विरूद्ध धारा 91 के तहत बेदखली के आदेश पारित किये गये। इस बेदखली आदेश के विरूद्ध अप्र[illegible]गण के द्वारा राजस्व अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishu Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:50:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील में आदेश दिनांक 07.08.1976 के द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया कि अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि से बेदखल नहीं करें तथा आवंटन के समय खसरा नंबर 47 माना गया था तो उसे अभी भी खसरा नंबर 47 ही माना जावे ताकि अपीलकर्तागण को बार–बार बेदखली की कार्यवाही का मुकाबला नहीं करना पड़े। इस आदेश के अनुसरण में तहसीलदार शिव द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 133 व 134 पारित कर लिये गये हैं एवं राजस्व अपील प्राधिकारी के इस निर्णय के विरूद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की गई है। प्रार्थी तहसीलदार शिव ने अपने स्वविवेक एवं राजकीय अधिवक्ता राजस्व मण्डल अजमेर की सलाह से लगभग 34 वर्ष पश्चात रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र तैयार करके इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त किया जावे एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में हुए आवंटन के फलस्वरूप स्वीकृत आलोच्य नामान्तरकरण यथावत कायम रखे जावें।

6. हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं आलोच्य नामान्तरकरणों का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि आलोच्य नामान्तरकरण राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा द्वितीय अपील संख्या 184/75 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.1976 के अनुसरण में पारित किये गये हैं। उक्त द्वितीय अपील मूल रूप से अप्रार्थीगण द्वारा मौजा नेगरडा के खसरा नंबर 56 गैर मुमकिन आगोर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की बेदखली से संबंधित थी जबकि नामान्तरकरण के द्वारा खसरा नंबर 47 में अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि का मौके पर खसरा परिवर्तन कर अवैध रूप से खातेदारी इन्द्राज किया गया है। अप्रार्थीगण को खसरा नंबर 47 सिवायचक भूमि में से आवंटन किया गया था जो विधिसम्मत था। यद्यपि वक्त आवंटन खसरा नंबर 47 व 56 के बीच कोई सीमा रेखा राजस्व नक्शा में अंकित नहीं थी किन्तु अप्रार्थीगण के साथ–साथ अन्य व्यक्तियों को भी खसरा नंबर 47 में आवंटन हुये थे जिनका मौके पर भौतिक कब्जा सिवायचक भूमि पर ही है। अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 47 व 56 के बीच सीमा रेखा के अभाव में अपनी मर्जी से मौके पर आगोर के रूप में जल भराव की भूमि पर कब्जा कर लिया। राजस्व अभिलेखों के अद्यतन के दौरान उक्त खसरा नंबर 47 व 56 के बीच सीमा रेखा के ध्यान में आने पर मौके पर भूमि की किस्म एवं अवस्थिति अनुसार तरमीम का अंकन किया गया एवं अप्रार्थीगण का कब्जा गैर मुमकिन आगोर की प्रतिबंधित भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:50:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पाया जाने से उनकी बेदखली की कार्यवाही सम्पन्न की गई। इस बेदखली आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील में पारित निर्णय दिनांक 07.08.1976 के अंतिम पैरा में अंकित किया गया है कि–

"उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों – जिलाधीश बाड़मेर और तहसीलदार शिव के अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाते हैं, और आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ताओं को आवंटितशुदा व कब्जे काश्तशुदा भूमि से बेदखल नहीं किया जावे। यदि अब यह भूमि बाद में की गई तरमीम के कारण खसरा नंबर 56 में चली गई है और पहले उनका खसरा नंबर 47 था तो इसका नोट संबंधित राजस्व रेकर्ड में लगाया जाना चाहिये, ताकि अपीलकार्ताओं को बार–बार बेदखली की कार्यवाही का मुकाबला नहीं करना पड़े।"

इस प्रकार स्पष्ट हैं कि अपील प्राधिकारी द्वारा खसरा नंबर 56 गैर मुमकिन आगोर की भूमि राजस्व रेकर्ड में कम कर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी इन्द्राज करने का आदेश पारित नहीं किया गया है बल्कि खसरा नंबर 47 में हुये आवंटितशुदा भूमि से बेदखल नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं। तहसीलदार शिव द्वारा आलोच्य नामान्तरकरणों के द्वारा राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 47 की भूमि के इन्द्राज किये गये हैं जबकि वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा अनुसार अप्रार्थी मारख के नाम खसरा नंबर 253/56 रकबा 20 बीघा एवं अप्रार्थीगण रमदान वगैरह के नाम खसरा नंबर 265/56 रकबा 73 बीघा भूमि बारानी दोयम के रूप में दर्ज है। उक्त विवादित भूमि की मौका कब्जा रिपोर्ट एवं मौका नक्शा अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण मौके पर गैर मुमकिन आगोर की भूमि पर काबिज हैं जबकि उन्हें आवंटन खसरा नंबर 47 सिवायचक भूमि में किया गया है। बंदोबस्त के समय उक्त दोनों खसरों के बीच त्रुटिवश सीमा रेखा के अभाव में अप्रार्थीगण को गैर मुमकिन आगोर की भूमि किसी भी दशा में खातेदारी में नहीं दी जा सकती है। यद्यपि उक्त नामान्तरकरण आवंटन के अनुसरण में दायर किये गये हैं किन्तु उक्त आवंटन गैर मुमकिन आगोर भूमि से सम्बन्धित नहीं है ऐसे में मूल आवंटन आदेश को चुनौती दिया जाना अथवा उसको प्रश्नगत किया जाना सुसंगत प्रतीत नहीं होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान के प्रकरण में प्रदत्त निर्देश अनुसार गैर मुमकिन भूमि में दिये गये खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:50:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिकार निरस्त किये जाने हेतु उक्त दोनों रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्व मण्डल को अग्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों प्रार्थना–पत्र इस अभिशंषा के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किये जाते हैं कि तहसीलदार शिव द्वारा प्रतिबंधित गैर मुमकिन आगोर की भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी में इन्द्राज किये जाने के आलोच्य नामान्तरकरण निरस्त फरमाये जावें। प्रकरणों में राजस्व मण्डल के समक्ष सुनवाई तिथि 15.02.2021 नियत की जाती है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता निर्धारित तिथि पर राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

8. आदेश आज दिनांक 30.12.2020 को सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:50:04 IST
Reason: SelfAttested